न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा (राज0)

मिसल नं. 22/2017

निर्णय दिनांकः—29.10.2020

पीठासीन अधिकारी— रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1— रूद्र पुत्र ओमप्रकाश ना0बा0 जर्ये वली सरंक्षक बबली पत्नी ओमप्रकाश जाति धाकड़ निवासी विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

(वादी)

बनाम

1— ओमप्रकाश पुत्र अमरलाल जाति धाकड निवासी विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
2— अमरलाल पुत्र नाथु जाति धाकड़ निवासी विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
4— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा(राज0)

(प्रतिवादीगण)

1— वादीगण की ओर से श्री लेखराज धाकड़ एडवोकेट
2— प्रतिवादीगण 1 ता 2 की ओर से श्री इन्द्रजीत मीणा एडवोकेट

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर .टी .एक्ट.

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जर्ये वली संरक्षक ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम विजयपुरा, भू0अभि0 निरीक्षक क्षैत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमावन्दी सम्वत् 2070—2073 के खाता संख्या 3 में खसरा संख्या 421 रकबा 0.13 है0, खसरा संख्या 496 रकबा 0.05 है0, खसरा संख्या 524 रकबा 0.04 है0, खसरा संख्या 529 रकबा 0.02 है0 खसरा संख्या 540 रकबा 0.08 है0 खसरा संख्या 546 रकबा 0.15 है0 खसरा संख्या 551 रकबा 0.29 है0, खसरा संख्या 572 रकबा 0.16 है0,

Scanned with CamScanner

खसरा संख्या 926 रकबा 3.77 है0, कुल किता 9 की रकबा 4.69 है0 भूमि स्थित है। जिसे इस वाद पत्र में विवादित भूमि संबोधित किया गया है।

यह कि उक्त वर्णित विवादित आराजी वादीगण की पेतृक सम्पत्ति है। उक्त पेतृक सम्पत्ति जो प्रतिवादी को उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होनें से वादी वली सरंक्षक बबली पत्नि ओमप्रकाश का जन्म से ही विवादित भूमि में हित उत्पन्न हो गया है व वादी वली संरक्षक अपने निहित 1/2 हिस्से की भूमि खातेदारी की घोषणा करवा कर पृथक बॅटवारा करवाने का कानूनी अधिकारी है। विवादित भूमि में वादीगण का जन्म से ही हित निहित है। वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय की सहायता से स्वंय के 1/2 हिस्से की घोषणा करवाकर पृथक से विभाजन करवाये।

यह कि विवादित भूमि वादी की पेतृक भूमि है जो पुरखों से चली आ रही है जिसमें वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम दर्ज है जबकि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का उक्त आराजी का बराबर का हिस्सा निहित है। परइी के नितर द्वारा अपने हिस्से की समस्त आराजी को वादी के जन्म के पूर्व ही विभाजित करवा लिया है तथा वादी के पिता द्वारा दुव्यसनों से ग्रस्त होकर अपनी पत्नी व वादी पुत्र का परित्याग कर दिया है जिससे वादी अपनी माता के साथ रहकर जीवन यापन कर रहा है एवं वादी की माता द्वारा मेहनत मजदूरी कर वादी का पालन पोषण किया जा रहा है। वादी नाबालिक है जिसके निहित हिस्से को सरंक्षित किये जाने एवं उसके सहदायिक अधिकारों कि रक्षार्थ प्रतिवादी 1 व 2 को उक्त कृषि भूमि को अन्यत्र करने से रोकने एवं वादी का सहदायिक हिस्सा वादी के नाम दर्ज करवाया जाना न्यायोचित एवं समीचीन है।

यह कि विगत दिनांक 30.04.2017 को वादी एवं उसकी संरक्षक माता को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी 1 व 2 द्वारा सम्पूर्ण कृषि आराजी को अन्यत्र विक्रय हेतु करार किया जा रहा है तो वादी की माता द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को इस बाबत व्ययनित नही करने बाबत निवेदन किया गया किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 व 2 नहीं माने एवं सम्पूर्ण आराजी को अन्यत्र व्ययनित शीघ्र करने की धमकी दी गई है।

यह कि प्रस्तुत वाद में राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार पीपल्दा को प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किया जा रहा है जिनके विरूद्व वाद प्रस्तुत करने से पूर्व यद्यपि धारा 80(2) सीपीसी दो माह मियादी सूचना नोटिस प्रेषित किया जाना अनिवार्य है किन्तु प्रश्नगत वाद की अत्यावश्यकता एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखा जाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। नोटिस मियाद की प्रतिक्षा किया जाने पर उक्त कृषि आराजी के शीघ्र अन्यत्र व्ययनित करने की आशंका विद्यमान होने से नोटिस के अभाव में वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। नोटिस मुक्ति हेतु धारा 80(2)सीपीसी का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है।

Scanned with CamScanner

यह कि वादी के नाबालिक एवं अनाश्रित होने से वादी की सम्पूर्ण कृषि आराजी के विक्रय प्रयासों से एवं प्रतिवादीगणों द्वारा अपने आराजी के अन्यंत्र व्ययनित करने के प्रयास से अपने साम्पतिक एवं सहदायिक अधिकारों की रक्षार्थ यह लाजमी है कि वह न्यायालय कि सहायता से वाद पत्र प्रस्तुत कर अपने निहित सहदायिक हिस्से की घोषणा करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवायें तथा उक्त हिस्से को अन्यत्र व्ययनित करने से प्रवारित करे। वाद कारण दिनांक 30.04.2017 को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा सम्पूर्ण कृषि आराजी को व्ययनित करने की धमकियां देने पर उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादर पारित की जावे कि:–

1– यह कि ग्राम विजयपुरा की खतौनी संख्या 3 की राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रतिवादी क्रम 2 के हिस्से दर्ज कृषि आराजी में वादी को 1/2 हिस्सा का सह खातेदार घोषित किया जावे तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

2– यह कि प्रतिवादी क्रम 3 को तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने व पालना सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जावे।

3– वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये:–

1– नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता सं0 3 ग्राम विजयपुरा

2– मिलान क्षेत्रफल फोटो प्रति 2041 से 2060

3– जमाबन्दी फोटो प्रति सम्वत 2041 से 2060 ग्राम विजयपुरा

4– जमाबन्दी फोटो प्रति सम्वत 2058 से 2061

5– जमाबन्दी सम्वत 2062 से 2065

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण 1 ता 2 की ओर से राजीनामा दिनांक 19.07.2019 को न्यायालय में पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा प्रस्तुत करने के कारण प्रकरण में तनकीयात की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में उभय पक्ष वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1ता 2 द्वारा विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1व 2 को निम्नानुसार पृथक से करने में एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने में पक्षकारान के मध्य सहमति हुई है। पक्षकारान के मध्य सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार पेश किया है।

1– यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है।

Scanned with CamScanner

यह कि विवादित आराजी वाके माल ग्राम विजयपुरा की खाता संख्या नया 3 पुराना खसरा नम्बर 421 रकबा 0.13 है0, 496 रकबा 0.05 है0, 524 रकबा 0.04 है0, 529 रकबा 0.02 है0, 540 रकबा 0.08 है0, 546 रकबा 0.15 है0, 551 रकबा 0.29 है0, 572 रकबा 0.16 है0, 926 रकबा 3.77 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 4.69 है0 स्थित चली आ रही है जिसमें वादी का हिस्सा निहित है एवं पक्षकारान के मध्य सहमति होने एवं वादी का खसरा नम्बर 926 रकबा 3.77 है0 पर वर्तमान में कब्जा काश्त होने से वादी को खसरा नम्बर 926 रकबा 3.77 है0 का पृथक से खातेदार घोषित करने पर सहमति है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान के मध्य हुये आपसी सहमति से प्रस्तुत बंटवारा व उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान के मध्य सहमति पूर्वक प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद स्वीकार होने योग्य है।

अतः प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को ग्राम विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 की खाता संख्या 3 में वादी वली संरक्षक बबली पत्नि ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी विजयपुरा को खसरा संख्या 926 रकबा 3.77 है0, कुल किता 1 की रकबा 3.77 है0 भूमि में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पृथक खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामावतार मीना)

उपखण्ड अधिकारी

इटावा

Scanned with CamScanner